कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक: 2868 / 14-1 आगरा : दिनांक : 31, दिसम्बर, 2018

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : आगरा में फतेहाबाद रोड पर अबन्ती बाई चौराहे से कचौराघाट मार्ग (एस0एच0–62) के कि0मी0 11 का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–719/आगरा/26962/2017 दिनांक 04.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है जिसकी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निस्तारण आख्या
1	2	3
1	दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न है किन्तु अनुरक्षण 10 वर्ष के स्थान पर 08 वर्ष हेतु ही समावेशित किया गया है।	दुगने अवगत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित संलग्न कर प्रेषित है।
2	मार्ग चौड़ीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान आर0ओ0डब्ल्यू0 के सापेक्ष विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित आर0ओ0डब्ल्यू0 एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है। ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें एवं चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनों ओर अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	मार्ग चौड़ीकरण का लीनियर प्लान की प्रति संलग्न है।
3	ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का डिजिटल मैप, सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट बिना हस्ताक्षर के अपलोड की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोसीट एवं डिजीटल मैप हस्ताक्षर युक्त अपलोड कर दी गयी है।
4	ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 में हस्ताक्षर युक्त क्षतिपूरक वनीकरण योजना अपलोड कर दी गयी है।
5	प्रस्तावित स्थल टी0टी0जैड0 क्षेत्रान्तर्गत है, किन्तु वृक्षों के पातन हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर संलग्न नहीं की गयी है।	प्रस्तावित स्थल में वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में आई0ए0 दाखिल की गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक :– प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (नि0ख0–1) लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/revenue/Letter/FCA Objection Letter